प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंडपीठ

पीठ: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री रंगनाथ चंद्राकर, न्यायाधीश

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्रमांक 553/ 2007

अपीलार्थी:
(आवेदक)

1. श्रीमती किरण निषाद, पति जीवन लाल निषाद, आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी – धरमपुरा, वार्ड क्रमांक 13, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थीगण:

(अनावेदक)

1. बलराम यादव, पिता जगदीश यादव, आयु लगभग 46 वर्ष, चालक,
   निवासी – थाना खमरिया, जिला दुर्ग (छ.ग.)
2. भावेश अग्रवाल, पिता राजेन्द्र अग्रवाल, आयु लगभग 30 वर्ष, वाहन स्वामी,
   निवासी – सिविल लाइन, राजनांदगांव (छ.ग.)
3. द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा अधिकारी, कामठी लाइन, राजनांदगांव।
4. जीवन लाल निषाद, पिता गंगा राम निषाद, आयु लगभग 44 वर्ष, चालक, निवासी – धरमपुरा, वार्ड क्रमांक 13, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

(मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत अपील ज्ञापन)

उपस्थिति : श्री वी.के. शर्मा विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।

प्रत्यर्थी क्रमांक 1, 2 एवं 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं, यद्यपि तामील हो चुकी है।।

श्री दशरथ गुप्ता विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की ओर से I

आदेश

(दिनांक 14 जून, 2012 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री राजीव गुप्ता द्वारा पारित किया गया।

1. यह अपीलार्थी/दावाकर्ता द्वारा अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, खैरागढ़, राजनांदगांव (संक्षेप में "अधिकरण") द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 09/2006 में दिनांक 24.03.2007 को पारित अधिनिर्णय के अंतर्गत प्रदान की गई प्रतिकर राशि की वृद्धि हेतु दायर अपील है।

2. अपीलार्थी/दावाकर्ता, अर्थात् मृतक नरेन्द्र निषाद की दुर्भाग्यशाली माता द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत दिनांक 24.12.2005 को हुई मोटर दुर्घटना में उसकी मृत्यु के लिए ₹36,95,000/- की प्रतिकर राशि का दावा करते हुए दावा याचिका दायर की गई थी, जिसके विरुद्ध अधिकरण ने दावा याचिका दायर किए जाने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 9% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित कुल ₹1,88,000/- की प्रतिकर राशि प्रदान की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अधिकरण ने अपने समक्ष प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण करने के पश्चात् यह निर्णय किया कि दावाकर्ता का पुत्र नरेन्द्र निषाद दिनांक 24.12.2005 को हुई मोटर दुर्घटना में उसे लगी चोटों के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ; यह दुर्घटना दुर्घटना कारित करने वाले वाहन बस, जिसका पंजीयन क्रमांक C.G.04-E/0631 है, के चालक द्वारा तेज एवं लापरवाह ढंग से वाहन चलाने के कारण हुई; चूँकि उक्त दुर्घटना कारित करने वाले वाहन बस दुर्घटना की तिथि को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बीमित थी तथा बीमा कंपनी पॉलिसी की शर्तों के किसी उल्लंघन को स्थापित नहीं कर सकी, अतः बीमा कंपनी दावाकर्ता को प्रतिकर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी।

4. चूँकि उपर्युक्त दुर्घटना कारित करने वाले वाहन बस के बीमाकर्ता ने अधिकरण द्वारा अभिलिखित उपर्युक्त निष्कर्षों को चुनौती देते हुए आक्षेपित अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है, अतः वे अब अंतिमता को प्राप्त हो चुके हैं।

5. अधिकरण ने मृतक की आय ₹2,000/- प्रतिमाह तथा ₹24,000/- प्रतिवर्ष आंकी। मृतक के व्यक्तिगत व्ययों के मद में ₹24,000/- का 1/3 भाग घटाने के पश्चात् दावाकर्ता की आश्रितता ₹16,000/- प्रतिवर्ष निर्धारित की गई। ₹16,000/- की वार्षिक आश्रितता को 11 के गुणक से गुणा करने पर प्रतिकर की राशि ₹1,76,000/- निर्धारित की गई। अन्य मदों के अंतर्गत अतिरिक्त ₹12,000/- जोड़ते हुए, अधिकरण ने मोटर दुर्घटना में उसके पुत्र नरेन्द्र निषाद की मृत्यु के लिए दावाकर्ता को कुल ₹1,88,000/- की प्रतिकर

राशि प्रदान की। उपरोक्त ₹1,88,000/- की प्रतिकर राशि को अधिकरण द्वारा अपीलार्थी/दावाकर्ता श्रीमती किरण निषाद, मृतक नरेन्द्र निषाद की माता, तथा प्रत्यर्थी क्रमांक 4 जीवन लाल निषाद, मृतक के पिता, के मध्य 75% : 25% के अनुपात में विभाजित किया गया। अधिकरण ने उपर्युक्त ₹1,88,000/- की प्रतिकर राशि पर दावा याचिका दायर किए जाने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 9% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का भी निर्देश दिया।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री वी.के. शर्मा ने निवेदन किया कि अधिकरण ने मृतक की आय के संबंध में दावाकर्ता के साक्ष्य को स्वीकार न करके त्रुटि की है तथा उसकी आय मात्र ₹2,000/- प्रतिमाह एवं ₹24,000/- प्रतिवर्ष त्रुटी कारित में गलती की है; 11 का निम्न गुणक चयन करने में त्रुटि की है; अन्य मदों के अंतर्गत केवल ₹12,000/- की अल्प राशि प्रदान करने में भी त्रुटि की है; तथा यह निर्देश देने में भी त्रुटि की है कि प्रदान की गई राशि का 25% प्रत्यर्थी क्रमांक 4 जीवन लाल निषाद को दिया जाएगा, जबकि वह मृतक से पृथक निवास कर रहा था और किसी भी प्रकार से मृतक पर आश्रित नहीं था।

7. दूसरी ओर, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन बस के बीमाकर्ता प्रत्यर्थी क्रमांक 3 न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री दशरथ गुप्ता ने अधिनिर्णय का समर्थन किया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया कि अधिकरण द्वारा प्रदान की गई ₹1,88,000/- की प्रतिकर राशि वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायोचित एवं उपयुक्त प्रतिकर है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में महत्वपूर्ण यह है कि न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रतिकर प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायोचित एवं उपयुक्त होना चाहिए। वह न तो अल्प (नगण्य) प्रतिकर राशि होनी चाहिए और न ही कोई अप्रत्याशित लाभ।

9. अब हम इस बात का परीक्षण करेंगे कि अधिकरण द्वारा प्रदान किया गया ₹1,88,000/- का प्रतिकर वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायोचित एवं उपयुक्त प्रतिकर है अथवा नहीं।

10. यह सत्य है कि दावाकर्ता ने यह कथन किया कि उसका पुत्र, मृतक नरेन्द्र निषाद, ट्रैक्टर मैकेनिक के रूप में ₹200/- प्रतिदिन की आय अर्जित करता था, किन्तु मृतक के उक्त व्यवसाय तथा ₹200/- प्रतिदिन की आय को स्थापित करने हेतु अधिकरण के समक्ष कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। साक्ष्यों की इस स्थिति में, अधिकरण द्वारा अपनी स्वतंत्र अनुमानित गणना के आधार पर मृतक की आय ₹2,000/- प्रतिमाह एवं ₹24,000/- प्रतिवर्ष निर्धारित किए जाने में हमें कोई दोष अथवा त्रुटि परिलक्षित नहीं होती।

11. अधिकरण मृतक की आय से उसके व्यक्तिगत व्ययों के मद में केवल 1/3 भाग घटाने में पर्याप्त रूप से उदार रहा है, जबकि इस संबंध में कटौती मृतक की आय का 50% तक की जा सकती थी, यह देखते हुए कि दुर्घटना की तिथि को मृतक नरेन्द्र निषाद अविवाहित था तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा **सैयद बशीर अहमद एवं अन्य बनाम मोहम्मद जमील एवं अन्य, रिपोर्टेड (2009) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस 225 तथा सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य, रिपोर्टेड (2009) 6 एस.सी.सी. 121** के प्रकरणों में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में।

12. अधिकरण द्वारा चयनित 11 का गुणक भी कम पक्ष का नहीं कहा जा सकता, यह देखते हुए कि अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी क्रमांक 4 मृतक के माता-पिता हैं तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा **म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे बनाम लक्ष्मण अय्यर एवं अन्य, रिपोर्टेड (2003) 8 एस.सी.सी. 731** के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में, जिसमें यह कहा गया था कि उन मामलों में, जहाँ दावाकर्ता मृतक के माता-पिता होते हैं, गुणक कभी भी 10 से अधिक नहीं होना चाहिए।

13. उपर्युक्त कारणों के दृष्टिगत, हमें अधिकरण द्वारा प्रदान किए गए प्रतिकर की राशि में वृद्धि किए जाने की कोई संभावना/आधार परिलक्षित नहीं होता।

14. जहाँ तक अधिकरण द्वारा प्रदान की गई प्रतिकर राशि के दावाकर्ता-माता तथा प्रत्यर्थी क्रमांक 4 जीवन लाल निषाद, मृतक के पिता, के मध्य विभाजन का संबंध है, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी क्रमांक 4 जीवन लाल निषाद, मृतक नरेन्द्र निषाद की माता अपीलार्थी से पृथक निवास कर रहा था। विद्वान् अधिवक्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि मृतक नरेन्द्र निषाद अपनी माता दावाकर्ता श्रीमती किरण निषाद के साथ निवास कर रहा था और इस प्रकार प्रत्यर्थी क्रमांक 4 जीवन लाल निषाद किसी भी प्रकार से अपने पुत्र मृतक नरेन्द्र निषाद पर आश्रित नहीं था।

15. उच्चतम न्यायालय ने **सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य, रिपोर्टेड (2009) 6 एस.सी.सी. 121** के प्रकरण में मृतक पुत्र के पिता की पात्रता पर विचार करते हुए अनुच्छेद 31 एवं 32 में निम्नानुसार अवलोकन किया है :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "31. जहाँ मृतक अविवाहित हो और दावाकर्ता उसके माता-पिता हों, वहाँ कटौती एक भिन्न सिद्धांत का अनुसरण करती है। अविवाहित व्यक्तियों के संबंध में सामान्यतः 50% व्यक्तिगत एवं जीवन-यापन व्ययों के रूप में घटाया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि अविवाहित व्यक्ति स्वयं पर अधिक व्यय करता है। इसके अतिरिक्त, यह संभावना भी रहती है कि उसका शीघ्र विवाह हो जाए, ऐसी स्थिति में माता-पिता तथा भाई-बहनों को दिया जाने वाला योगदान अत्यधिक कम हो जाने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त, विपरीत साक्ष्य के अभाव में, यह माना जाता है कि पिता की अपनी स्वतंत्र आय होगी और उसे आश्रित नहीं माना जाएगा तथा केवल माता को ही आश्रित माना जाएगा। विपरीत साक्ष्य के अभाव में, भाई-बहनों को भी आश्रित नहीं माना जाएगा, क्योंकि वे या तो स्वतंत्र रूप से कमाने वाले होंगे, या विवाहित होंगे, अथवा पिता पर आश्रित होंगे।
>
> 32. अतः, भले ही मृतक के पश्चात् उसके माता-पिता एवं भाई-बहन जीवित हों, केवल माता को ही आश्रित माना जाएगा, तथा 50% को अविवाहित मृतक के व्यक्तिगत एवं जीवन-यापन व्ययों के रूप में और शेष 50% को परिवार के लिए योगदान के रूप में माना जाएगा। तथापि, जहाँ अविवाहित मृतक का परिवार बड़ा हो और उसकी आय पर आश्रित हो, जैसे कि ऐसी स्थिति में जहाँ उसकी माता विधवा हो और अनेक छोटे, गैर-अर्जक बहनें या भाई हों, वहाँ उसके व्यक्तिगत एवं जीवन-यापन व्ययों को एक-तिहाई

तक सीमित किया जा सकता है तथा परिवार को उसका योगदान दो-तिहाई माना जाएगा।"

16. समुचित विचारोपरांत तथा सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य (उपर्युक्त) के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त सिद्धांत के आलोक में, हम अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्क में पर्याप्त बल पाते हैं कि प्रत्यर्थी क्रमांक 4 जीवन लाल निषाद, जो मृतक नरेन्द्र निषाद के पिता हैं, अधिकरण द्वारा मृतक नरेन्द्र निषाद की मृत्यु के लिए प्रतिकर के रूप में प्रदान की गई ₹1,88,000/- की राशि में से किसी भी भाग के प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे।

17. इस संबंध में अधिकरण द्वारा पैरा 44 में अभिलिखित निष्कर्ष तथा आक्षेपित अधिनिर्णय के पैरा 59 के उप-पैरा (1) एवं (7) में निहित निर्देश आपस्त किए जाने योग्य हैं और उन्हें एतद्द्वारा आपस्त किया जाता है।

18. हम आगे यह भी अभिनिर्धारित करते हैं कि अपीलार्थी श्रीमती किरण निषाद, मृतक नरेन्द्र निषाद की माता, अकेले ही अधिकरण द्वारा अधिनिर्णय की गई ₹1,88,000/- की संपूर्ण प्रतिकर राशि प्राप्त करने की अधिकारी हैं।

19. उपर्युक्त पूर्वगामी कारण को देखते हुए, अपीलार्थी/दावाकर्ता द्वारा दायर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिकरण द्वारा प्रदान की गई ₹1,88,000/- की प्रतिकर राशि की मात्रा को यथावत रखते हुए, यह निर्देश कि प्रत्यर्थी क्रमांक 4 जीवन लाल निषाद उपर्युक्त प्रतिकर राशि का 1/4 भाग प्राप्त करने का अधिकारी होगा, एतद्द्वारा आपस्त किया जाता है तथा यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलार्थी श्रीमती किरण निषाद, मृतक नरेन्द्र निषाद की माता, अकेले ही ₹1,88,000/- की संपूर्ण प्रतिकर राशि प्राप्त करने की अधिकारिज हैं।

20. वाद व्ययों के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
आर. एन. चंद्राकर
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुप्रकरण पक्षकारकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों

हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Ankita Jangde, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur